छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 65/2009

1.	श्री धर्मेन्द्र साय, सहायक भौमिकी विद्, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	–	अपीलार्थी

विरूद्ध

1.	जन सूचना अधिकारी, छ0ग0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	–	प्रति अपीलार्थी

//आदेश//

(दिनांक 27 जुलाई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री धर्मेन्द्र साय द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, छ0ग0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के समक्ष दिनांक 08.07.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 26.08.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। किन्तु प्रथम अपील में सुनवाई एवं निराकरण नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 12.12.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्को का श्रवण किया गया। प्रकरण में चार बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी, जिसमें बिन्दु कमांक–1 में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का अभिप्राय मॉगा गया था और अन्य तीन बिन्दुओं पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश की प्रतिलिपि चाही गई थी। जन सूचना अधिकारी ने बताया कि बिन्दु कमांक–1 में सूचना की व्याख्या किया जाना अपेक्षित नहीं है और शेष तीन बिन्दुओं के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। अपीलार्थी ने बताया कि उसके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने न तो कोई शुल्क की सूचना प्राप्त हुई और न ही उन्हें कोई जानकारी दी गई। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी ने अपने उत्तर में यह भी बताया कि अपीलार्थी प्रथम अपील में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण में भले ही आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के हो, किन्तु खनिज साधन विभाग ने अपने एक आदेश में उन आदेशों का संदर्भ दिया है, अतः निश्चित रूप से वे आदेश खनिज साधन विभाग में ही उपलब्ध होना चाहिए। अतः इस आधार पर यह उत्तर उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि जन सूचना अधिकारी खनिज साधन विभाग अपने यहॉ ढूंढ़कर बिन्दु कमांक–2, 3 एवं 4 से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों की चाही गई प्रतिलिपि अपीलार्थी को 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान करें, उनके यहॉ उपलब्ध न हो तो सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त कर उन्हें दे सकते हैं। जहॉ तक बिन्दु कमांक–1 का प्रश्न है जन सूचना अधिकारी का तर्क अपने स्थान पर सही है, उसमें किसी आदेश की व्याख्या किया जाना जन सूचना अधिकारी द्वारा अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में इस बीच अपीलार्थी को आयोग ने निर्देशित किया था कि विभाग में अपनी समस्या के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिसमें नियमानुसार विचार कर उसका निराकरण एक माह में किया जावे। इस संबंध में जन सूचना अधिकारी ने सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श कर उसको भी अपने स्तर से अभ्यावेदन को अमान्य करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 18.06.2009 को सूचित किया है। इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई टीप/संक्षेपिका तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये मार्गदर्शन की प्रमाणित प्रति भी नोटशीट अथवा नस्ती में से जानकारी अपीलार्थी को 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में अपीलार्थी यदि विभाग द्वारा लिये गये किसी निर्णय से असंतुष्ट हो तो उन्हें सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष अपील/याचिका इत्यादि दायर कर उसका निराकरण कराना चाहिए। प्रकरण में किसी प्रकार की शास्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 250/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com